

भारतीय कामगारों का पहला जत्था इज़रायल के लिये रवाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इज़रायल में रोज़गार के लिये जाने वाले भारतीय नरिमाण श्रमिकों के पहले बैच को इज़रायली राजदूत नाओर गलियोन और सरकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्य बटु:

- इज़रायली सरकार ने नवंबर 2023 में नरिमाण श्रमिकों के लिये एक तत्काल अनुरोध किया था और इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी।
 - ऐसा इसलिए था क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को [हमास द्वारा किये गए आतंकवादी हमलों](#) के बाद हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को इज़रायल में कार्य करने से [प्रतिबंधित करने](#) के बाद देश को बड़ी श्रम कमी का सामना करना पड़ा था।
- राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के अनुसार, पहले समूह की भरती पछिले कुछ महीनों में [हरियाणा और उत्तर प्रदेश](#) में एक बड़े अभियान के दौरान की गई थी।
 - वे अपेक्षित 10,000-मज़बूत कार्यबल का हिस्सा हैं, जिन्हें अगले कुछ हफ़्तों में इज़रायल भेजा जाएगा, जिनमें से लगभग हर दिन एयर इंडिया और यहाँ तक कि चार्टर्ड फ़्लाइट्स से यात्रा की जाएगी।
- [वदेश मंत्रालय](#) के अनुसार, श्रमिक वर्ष 2023 में हस्ताक्षरित [भारत-इज़रायल गतिशीलता साझेदारी](#) के हिस्से के रूप में सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत इज़रायल की यात्रा कर रहे थे।
- चूंकि इज़रायल ["उत्प्रवासन मंजूरी आवश्यक" \(ECR\)](#) देशों की सूची में नहीं है, इसलिए [MEA](#) के [ई-माइग्रेट पोर्टल](#) पर श्रमिकों के लिये पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
- इज़रायल के साथ [हस्ताक्षरित फ़रेमवर्क समझौते और कार्यान्वयन प्रोटोकॉल](#) के अनुसार, भारतीय श्रमिकों को इज़रायली नागरिकों के समान श्रम अधिकारों के संबंध में समान व्यवहार का आनंद मिलेगा एवं उन्हें उचित आवास, चिकित्सा बीमा व प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ-साथ कानून में नरिधारित मज़दूरी तथा लाभ प्रदान किये जाएंगे।

राष्ट्रीय कौशल विकास नगिम (NSDC)

- यह एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना 31 जुलाई 2008 को [कंपनी अधिनियम, 1956](#) की धारा 25 के तहत की गई थी।
- वित्त मंत्रालय ने NSDC को [सार्वजनिक नज्जी भागीदारी \(PPP\)](#) मॉडल के रूप में स्थापित किया।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के माध्यम से भारत सरकार के पास NSDC की 49% हिस्सेदारी है, जबकि नज्जी क्षेत्र के पास शेष 51% हिस्सेदारी है।
- संगठन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये [स्केलेबल और सफल](#) पहल विकसित करने हेतु धनराशि प्रदान करता है।

ई-माइग्रेट

- यह वर्ष 2015 में लॉन्च होने के बाद से पूरी तरह से चालू है और [भरती एजेंटों \(RA\)](#), [वदेशी नयिकताओं \(FE\)](#) के पंजीकरण तथा संभावित प्रवासियों को उत्प्रवास मंजूरी (EC) जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह 18 [उत्प्रवास जाँच आवश्यक \(ECR\)](#) देशों में भारतीय श्रमिकों के सुरक्षा और कानूनी प्रवास की सुविधा के लिये विकसित एक व्यापक ऑनलाइन प्रणाली है।
 - ये 18 देश हैं [अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, दक्षिण सूडान, सीरिया, सूडान, थाईलैंड, यूएई और यमन](#)।

